(102)

**न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर**

**समक्ष : मनोज गोयल,**

**अध्यक्ष**

निगरानी प्रकरण कमांक 2818–पीबीआर/2016 विरूद्ध आदेश दिनांक 25–7–2016 पारित द्वारा न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी पेटलावद जिला झाबुआ, प्रकरण कमांक 28/अपील/2015–16.

.....

1–नाथु पिता गमीर मुणिया भील
2–हवला पिता गमीर मुणिया भील
निवासी कुडवास तहसील पेटलावद
जिला झाबुआ

..... आवेदकगण

विरूद्ध

1–कोदा पिता सोमजी मुणिया भील
2–नराण पिता सोमजी मुणिया भील
निवासी कुडवास तहसील पेटलावद
जिला झाबुआ

.....अनावेदकगण

.....

श्री रूचिर पाराशर, अभिभाषकगण–आवेदकगण
श्री अजय श्रीवास्तव, अभिभाषक–अनावेदकगण

.....

## :: आ दे श ::

( आज दिनांकः 11/10/18 को पारित )

यह निगरानी आवेदकगण द्वारा मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 ( जिसे आगे संक्षेप में केवल "संहिता" कहा जायेगा ) की धारा 50 के अंतर्गत न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी पेटलावद जिला झाबुआ द्वारा पारित आदेश दिनांक 25–07–2016 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य सन्क्षेप में इस प्रकार है कि अनावेदकगण द्वारा तहसीलदार के आदेश दिनांक 29–9–15 के विरूद्ध प्रथम अपील अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष दिनांक 11–2–2016 को अवधि बाह्य प्रस्तुत की गई एवं विलम्ब क्षमा हेतु अवधि विधान की धारा 5 का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा प्रकरण कमांक 28/अपील/15–16 दर्ज कर दिनांक 25–7–16 को

आदेश पारित किया जाकर अवधि विधान की धारा 5 का आवेदन पत्र स्वीकार किया गया । अनुविभागीय अधिकारी के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ प्रकरण दिनांक 18–7–17 को अनावेदकगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा लिखित तर्क प्रस्तुत किये जाने पर आवेदकगण के अधिवक्ता द्वारा 7 दिवस में लिखित तर्क प्रस्तुत किये जाने के निर्देश पर आदेशार्थ सुरक्षित रखा गया था परन्तु आवेदकगण के अधिवक्ता द्वारा आज दिनांक लिखित तर्क प्रस्तुत नहीं किये गये हैं, इसलिये आवेदकगण द्वारा निगरानी मेमों में उठाये गये आधारों पर विचार किया जा रहा है । आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा निगरानी मेमों में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :–

(1) अनुविभागीय अधिकारी द्वारा बिना किसी ठोस आधार के अवधि विधान की धारा 5 का आवेदन पत्र स्वीकार करने में अवैधानिकता की गई है । अवधि विधान की धारा 5 में स्पष्ट प्रावधान है कि आवेदन पत्र प्रस्तुत करने वाले पक्ष को यह बताना होता है कि उसके द्वारा समय सीमा में अपील प्रस्तुत क्यों नहीं की जा सकी है ।

(2) अनावेदकगण की ओर से वर्ष 1981–82 के नामान्तरण आदेश को लगभग 36 वर्ष बाद प्रस्तुत अपील में आवेदकगण के स्वामित्व के संबंध में कोई ठोस प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया है ।

(3) अनावेदकगण की ओर से अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष ऐसा कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया है कि इतने वर्षो तक उसके द्वारा अपील प्रस्तुत क्यों नहीं की गई है । वर्ष 2013 में सीमांकन की जानकारी होने के पश्चात् भी वर्ष 2016 में अपील प्रस्तुती के आधार पर 1981–82 वाली स्वत्व की भूमि के संबंध में आवेदन पत्र प्रस्तुत करने पर अपील को समयावधि में मानने में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अवैधानिक एवं अनियमित कार्यवाही की गई है ।

4/ अनावेदकगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :–

(1) तहसीलदार द्वारा संहिता की धारा 109 व 110 के अन्तर्गत बने नामान्तरण नियमों के नियम 27 का पालन नहीं किया गया है । चूँकि तहसीलदार द्वारा अनावेदकगण को सूचना एवं सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया है अतः अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अवधि विधान की धारा 5 आवेदन पत्र स्वीकार करने में विधिसंगत कार्यवाही की गई है ।

(2) प्रश्नाधीन भूमि में अनावेदकगण का हित है और उन्हें सूचना एवं सुनवाई का अवसर तहसील न्यायालय द्वारा नहीं दिया गया है अतः अनुविभागीय अधिकारी द्वारा उनके समक्ष प्रस्तुत अपील का समय सीमा में मान्य करने में विधिक आदेश पारित किया गया है, जो हस्तक्षेप योग्य नहीं है ।

तर्क के समक्ष में 2014 आरएन 155 एवं 2008 आरएन 243 के न्यायदृष्टांत प्रस्तुत किये गये ।

5/ उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण द्वारा प्रस्तुत तर्को के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया। तहसील न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि तहसील न्यायालय द्वारा अनावेदक के पीठ पीछे सीमांकन की कार्यवाही की गई थी तथा अनावेदक को सीमांकन की जानकारी नहीं होने के कारण जानकारी के दिनांक से अपील अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की गई थी जिसे समय सीमा में मान्य करने में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा कोई त्रुटि नहीं की गई है । दर्शित परिस्थितियों में अनुविभागीय अधिकारी का आदेश न्यायंसगत होने से स्थिर रखे जाने योग्य है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अनुविभागीय अधिकारी पेटलावद जिला झाबुआ द्वारा पारित आदेश दिनांक 25–07–2016 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष,
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर